

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कागजाती मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>20-11-24</p>	<p>आज यह वाद पत्र वादी के अभिभाषक द्वारा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.के तहत पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजि. नं. है । प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्यक रजि.ए. की सम्मति की जाकर पत्रावली दिनांक 09-12-24 को पेश हो</p> <p><i>vish</i> डा. खण्ड अधिकारी रूपवास</p>	
<p>31/12/24</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील वारी उपस्थित । पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 23-12-2024 को पेश हो</p> <p><i>vish</i></p>	
<p>23/12/24</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील वारी उपस्थित । पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 28/12/24 को पेश हो</p> <p><i>vish</i></p>	
<p>28/12/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई निजसोन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दि. 6/25 को पेश हो</p>	
<p>6/5/25</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई लार्ड एवं उमर अभिभाषक न्यायलय हाल में</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>           उपस्थित नहीं आये। बार - बार कई            अंतरालों में लाये एवं उसमें अभिन्न            को आवाज दिलावारी के बावजूद            लाये एवं उसमें अभिभाषण न्यायलय            द्वारा भी उपस्थित नहीं आये। ऐसी            स्थिति में लाये का लाय पर अयन            दायिरी एवं अयन पेशी में खारिज            किया जाता है। परावर्ती केस            शुमार दायर नम्बर से जन्म है।            दायित्व देखा है।  <u>ish</u>            उपखण्ड अधिकारी            रूपवास         </p>	